बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

आदेश

थानाध्यक्ष, बिहटा, पटना द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन में पकड़े गये ट्रैक्टर संख्या–BR04GB-6381 एवं BR03GA-9536 एवं पर लदे बालू के संदर्भ में विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रेषित पत्रांक 2408 दिनांक 03.06.2025 के आलोक में श्री गोविंद कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, पटना सम्प्रति गोपालगंज द्वारा पत्रांक कैंप–01 दिनांक 07.08.2025 से थानाध्यक्ष, बिहटा को उक्त दोनों ट्रैक्टरों पर बिना धर्मकाँटा कराये लगभग 110 CFT बालू सूचित करते हुए ओवरलोडेड के कारण सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु प्रतिवेदित किया गया। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–56(vi) में प्रावधानानुसार परिवहन के मामले में मूल्यांकन की गई मात्रा का निर्धारण केवल धर्मकाँटा से किया जायेगा, का प्रावधान है। इस हेतु उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर पत्रांक 2281 दिनांक 01.04.2026 से आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन की मांग की गई।

श्री गोविंद कुमार, खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.05.2026 को आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनको खनिज विकास पदाधिकारी, पटना द्वारा पृष्ठांकित पत्र जो दिनांक 06.08.2025 को प्राप्त हुआ, के आलोक में दोनों ट्रैक्टरों के धर्मकाँटा पर वजन कराने के क्रम में ट्रैक्टर एवं ट्रॉली में हवा नहीं होने तथा ट्रैक्टर का चाबी नहीं होने एवं अत्यधिक भीड़ होने के कारण धर्मकाँटा पर वजन नहीं करा पाया तथा मैनुअल ढ़ंग से मापी की गई।

श्री गोविंद कुमार, खान निरीक्षक द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा की गई। समीक्षा से स्पष्ट है कि चूँकि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–56(vi) में परिवहन के मामले में मूल्यांकन की गई मात्रा का निर्धारण केवल धर्मकाँटा से किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में श्री कुमार के कथन से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता है। इस प्रकार उनका कृत्य कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत श्री गोविंद कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, पटना सम्प्रति गोपालगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम--19 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना अर्थात असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक"** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(भारत भूषण प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–09/2026–................../एम0, पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–09/2026–................../एम0, पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, पटना/गोपालगंज को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–09/2026–................../एम0, पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–श्री गोविंद कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, पटना सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–09/2026–5190/एम0, पटना, दिनांक 10.08.26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव कोषांग/खान निरीक्षक स्थापना शखा (मु0)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/08/26

सरकार के अपर सचिव।

10.8.26

Sanj/bach/karyalaya adesh